भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA : MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI
द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: ITBA/COM/M/17/2024-25/1074419860(1) Date: 12/03/2025

सेवा में/To,

मेसर्स तेजपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड,
[पैन: AAECT5524F], देउरीगांव, केतकीबारी, तेजपुर-784001, असम
M/s Tezpur Institute of Medical Sciences Pvt. Ltd.
(PAN: AAECT5524F), Deurigaon, Keteibari, Tezpur, 784001, Assam

विषय/Sub:"मेसर्स तेजपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, [पैन: AAECT5524F], देउरीगांव, केतकीबारी, तेजपुर-784001, असम" के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – Approval for renewal of registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s Tezpur Institute of Medical Sciences Pvt. Ltd. (PAN: AAECT5524F), Deurigaon, Keteibari, Tezpur, 784001, Assam"-reg

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, एतद्द्वारा आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित दिशा-निर्देशों के संबंध में एक अस्पताल के अनुमोदन देने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के एक अस्पताल, खंड (ii) के उक्त उप-खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के उद्देश्य से " मेसर्स तेजपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, [पैन: AAECT5524F], देउरीगांव, केतकीबारी, तेजपुर-784001, असम" को मंजूरी प्रदान करता हूँ। / In exercise of the powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax

Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "**M/s Tezpur Institute of Medical Sciences Pvt. Ltd. (PAN: AAECT5524F), Deurigaon, Keteibari, Tezpur, 784001, Assam**" for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

2. अनुमोदन केवल कर्मचारी द्वारा आयकर नियम 1962 के नियम 3ए (2) में उल्लिखित बीमारियों या बीमारियों पर स्वयं के चिकित्सा उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी भी खर्च के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में लागू होगा ।इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के अधीन कर्मचारी के लिए अनुलब्धि के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि यह निम्नलिखित निर्धारित बीमारी के संबंध में लागू होगा/The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under :-

(कa) तपेदिक tuberculosis;

(खb) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंत:स्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;

(गc) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो;ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;

(घd) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो;fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment;

(ङe) स्त्री संबंधी या प्रसूति संबंधी व्याधि या रोग, जिनके लिए सर्जिकल आपरेशन, सीजिरियन आपरेशन या लेपरोस्कोपिक इंटरवेंशन की आवश्यकता हो gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laperoscopic intervention;

(चf) ऊपर (ख) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो ailment or disease of the organs mentioned at (b), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;

(छg) स्त्री रोग या प्रासविक रोग या व्याधि जिसमें कम-से-कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax
N.E.R.
Guwahati

(जh) एनाफाइलेक्टिक शाक्स, जिनमें इन्स्युलिन शाक्य, औषधि प्रतिघात और अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और / या तथ्यों की गलत प्रस्तुति से या आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए के उप–नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है तो यह अनुमोदन किसी भी समय प्रत्याहरण के अधीन होगा और यदि अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रावधानों में अनुवर्ती परिवर्तन आवश्यक हो तो इसमें संशोधन/प्रत्याहरण किया जा सकता है।/ This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के उद्देश्य के लिए है और इसे केंद्र सरकार या प्र.मु.आ.आ के किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वो, गुवाहाटी या सरकार के अधीन कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए/The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. अनुमोदन का यह **30/03/2024 से** प्रभावी है और **29/03/2026** तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है, , तथा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन कर ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं / This approval takes effect **from 30/03/2024 and shall remain in force till 29/03/2026**. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.

6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है / This order of the approval is subject to the following terms and conditions:

a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, N.E.R. Guwahati

b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित हैं। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.

d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.

O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय, N.E.R. Guwahati

(नव रतन सोनी /NAV RATAN SONI)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati

(एन. आर. सोनी / N. R. Soni)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
Principal Chief Commissioner of Income Tax
पूर्वो.क्षे., गुवाहाटी / NER, Guwahati

भारत सरकार/ **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय/ **MINISTRY OF FINANCE**
आयकर विभाग/ **INCOME TAX DEPARTMENT**
PCCIT, NORTH EAST REGION

सेवा में/ To, TEZPUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES PRIVATE LIMITED FLAT NO -1, B AND E, USHA APARTMENT, MURHATETELI TEZPUR, Assam, India, 784001,	

स्थायी लेखा संख्या/ PAN:	द.प.सं. एवं प्रपत्राक संख्या / DIN & Document No.:	दिनांक/ Dated:
AAECT5524F	**ITBA/COM/S/91/2024-25/1074420273(1)**	**12/03/2025**

Intimation Letter

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

This is to inform you that Order/Notice/Letter dated 12/03/2025 is having Document No. (DIN) **ITBA/COM/M/17/2024-25/1074419860(1)**.

This is a system generated document and does not require any signature.

भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग
GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI
द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी– ७८१००५
2ND FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005
TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596
e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

फाइल सं. A-11/Pt.198/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2024-25/25295-395 दिनांक- 12/03/2025

सेवा में,

भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: मैसर्स ईस्ट एंड नर्सिंग होम & रिसर्च इंस्टीट्यूट, (पूरबज्योति हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, पैन- AAECP4751A), 23 मनीराम देवान रोड, बामुनीमैदान, गुवाहाटी, असम – 781021" के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी)के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन के सूचनार्थ – के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि "मेसर्स तेजपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, [पैन: AAECT5524F], देउरीगांव, केतकीबारी, तेजपुर-784001, असम" के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 26/07/2024 से प्रभावी है और 25/07/2026 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

भवदीय

(सुमित पुरकायस्थ)
आयकर उप आयुक्त (तकनीकी)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय, गुवाहाटी
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER Guwahati